राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 4494/2024

गुलाब सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन–सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जगनवाला, ब्लॉक बज्जू खालसा, जिला बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.12.2024
आदेश की दिनांक : 13.01.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज सैनी, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–1) पारित कर अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जगनवाला ब्लॉक बज्जू खालसा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोकुल, ब्लॉक बज्जू खालसा किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी को गलत रूप से अधिशेष माना गया है और पास के विद्यालय में स्थानांतरण/पदस्थापन न कर दूर के विद्यालय में अपीलार्थी का स्थानांतरण/पदस्थापन किया गया है, जो उचित नहीं है।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का

अनुशीलन कर मनन किया। अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को ब्लॉक बज्जू खालसा से स्थानांतरण/पदस्थापन कर उसी ब्लॉक में रखा गया है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी को दूर स्थानांतरित किया गया हो। साथ ही अपीलार्थी ने ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह प्रकट होता हो कि अपीलार्थी को गलत रूप से अधिशेष माना गया हो। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक लिया गया निर्णय विधि–विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो।

4. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)